(48)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4459/2018/भोपाल/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 25.04.2018 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत्त-3, बैरसिया जिला भोपाल प्रकरण 66/अ-12/2017-18.

पावर्ततीबाई पत्नी राजाराम
निवासी ग्राम सेमराकलां, तहसील बैरसिया,
जिला भोपाल, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. ज्योति बेबा सतीश कुमार
2. अमन पुत्र सतीश
   समस्त निवासी ग्राम सेमराकलां,
   तह. बैरसिया, जिला भोपाल, म.प्र.
   हाल मुकाम-बाल बिहार बैरसिया,
   जिला भोपाल, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री उमेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, वृत्त-3, बैरसिया जिला भोपाल द्वारा पारित दिनांक 25.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका ज्योति बेवा सतीश कुमार निवासी ग्राम बैरसिया तहसील बैरसिया जिला भोपाल द्वारा अपने स्वत्व की भूमि ग्राम सेमराकलां स्थित खसरा नंबर 971, 1003, 1004 रकबा क्रमशः 0.050, 0.070, 0.100 कुल रकबा 0.220 हैक्टेयर का सीमांकन कराने हेतु आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक, वृत्त-3, बैरसिया जिला भोपाल के समक्ष

प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्र. 66/अ-12/2017-18 दर्ज कर दिनांक 25.04.2018 को सीमांकन आदेश पारित किया गया। राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) प्रश्नगत सीमांकन हेतु आवेदिका को दिनांक 24.04.2018 का सूचना पत्र दिया गया था और उक्त दिनांक को आवेदिका की उपिस्थति के बावजूद राजस्व निरीक्षक सीमांकन करने नहीं पहुंचे व कोई सीमांकन नहीं किया गया।

(2) अनावेदकगण व राजस्व निरीक्षक के आपस में मिलीभगत करते हुए दिनांक 25.04.2018 को आवेदिका की अनुपस्थिति में अनावेदकगण की भूमि पर पहुंचकर प्रश्नगत सीमांकन करते हुए 32-33 वर्ष पूर्व से बने रोड़ व उससे दक्षिणी ओर की आवेदिका का कुंआ सहित कतिपय भूभाग को अनावेदकगण की भूमि खसरा क्र. 1003, 1004 का भू-भाग होना सर्वथा असत्य एवं मनगढ़ंत व मनमाने ढंग से दर्शा दिया है। प्रश्नगत सीमांकन के समय आवेदिका को कोटवार या किसी भी माध्यम से नहीं बुलाया गया है।

(3) इसी प्रकार अनावेदकगण से मिली भगत के तहत ही सीमांकन पंचनामा पर सर्वथा असत्य यह टीप अंकित की गई कि आवेदिका का पुत्र अशोक कुमार सीमांकन के समय उपस्थित था। वास्तव में अशोक कुमार तो बैरसिया से आया था और गांव में उसने सुना कि नप्ती हो रही है तो उसने आवेदिका से पूछा तो आवेदिका ने बताया कि उसे बुलाने कोई नहीं आया। तब अशोक कुमार खेत पर पहुंचा था। तब राजस्व निरीक्षक ने पूर्व से ही हदबंदी करके पंचनामा आदि बना लिए थे और अशोक कुमार से हस्ताक्षर करने को कहा तो अशोक कुमार ने कह दिया कि उसके सामने कोई सीमांकन नहीं हुआ है, तो वह हस्ताक्षर कैसे कर देवे।

(4) आवेदिका के स्वत्व एवं आधिपत्य में भूमि खसरा क्रमांक 1001 तथा 1007 जिसमें 25 वर्ष पूर्व से कुंआ खुदा हुआ है, की भूमि व कब्जा की जानकारी अनावेदकगण को व पूर्वज सतीश कुमार को रही है व है। सर्वथा असत्य व मनगढंत व मिली भगतपूर्ण रूप से आवेदिका की भूमि व कुंआ हड़पने के षड्यंत्र से प्रश्नगत सीमांकन से रक्षा किया जाना न्यायहित में होगा।

(5) किसी भी सीमांकन में पड़ोसी कृषकों को सीमांकन का सूचना पत्र दिया जाना कानूनी आवश्यकता है। विवादित सीमांकन दिनांक 25.04.2018 का कोई सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया गया है, यह तथ्य सीमांकन प्रकरण में उपलब्ध रिकॉर्ड से सिद्ध है। अतएव विधिक प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण विवादित सीमांकन शून्यवत व अपास्त करणीय है। तर्को के समर्थन में उनके द्वारा 2001 विधि भास्कर 263, 1998 आर.एन. 106 (उच्च न्यायालय) एवं 1998 आर.एन. 16 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 25.04.2018 को की गई सीमांकन कार्यवाही में आवेदिका के पुत्र उपस्थित थे, अत: उनका यह कहना की दिनांक 25.04.2018 को की गई सीमांकन कार्यवाही की उन्हें जानकारी नहीं थी, उचित नहीं है। राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सूचना पत्र देकर उभय पक्ष की उपस्थिति में विधिवत टी.एस.एम. मशीन द्वारा सीमांकन किया गया है। अत: सीमांकन की संपूर्ण कार्यवाही वैधानिक एवं उचित होकर स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, वृत्त-3, बैरसिया जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर